

न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :- ओमप्रकाश सहारण (आरएस)

अपील संख्या :- 141/2018 निर्णय दिनांक :- 14/1/2018

उनवान

1. राजेन्द्र कुमार मीणा पुत्र स्व. श्री हनुमान सहाय मीणा जाति मीणा निवासी- ग्राम तामडिया पटवार हल्का तामडिया भू0 अभि0 नि0 क्षे0 कादेडा तहसील चाकसू जिला जयपुर राज0
—वादी

बनाम


1. कमला पत्नि स्व. श्री हनुमान सहाय मीणा जाति मीणा
2. लक्ष्मीनारायण मीणा पुत्र स्व. श्री हनुमान सहाय मीणा जाति मीणा
3. राजाराम मीणा पुत्र स्व. श्री हनुमान सहाय मीणा जाति मीणा समस्त निवासी-ग्राम तामडिया पटवार हल्का तामडिया भू0 अभि0 नि0 क्षे0 कादेडा तहसील चाकसू जिला जयपुर राज0
4. राजस्थान राज्य जरिये भू-धारक, तहसीलदार तहसील चाकसू जिला-जयपुर।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत रिकार्ड दुरुस्ती

प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से निम्न प्रकार से पेश किया गया कि प्रार्थी की कब्जे एवं स्वामित्व की कृषि भूमि वाके ग्राम तामडिया पटवार हल्का तामडिया भू0 अभि0 क्षे0 कादेडा तहसील चाकसू जिला जयपुर राज0 में स्थित है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है। खाता संख्या 109 के खसरा नंबर 966,


967, 968, 969, 970, 976 कुल किता 6 कुल रकबा 3.39 है0 एवं खाता संख्या 19 खसरा नंबर 123, 124, 125, 126, 127, 204, 205, 318, 320, 321, 324, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 890, 891, 892, 893, 894, 896, 897, 898, 917, 946, 947, 948, 949, 950, 952, 1159, 1160, 1662, 1663 कुल किता 36 कुल रकबा 8.34 है0 तथा खाता संख्या 21 के खसरा नंबर 109, 110, 112, 113, 114, 115, 131, 1667, 2224/2417, 2225/2416, 2228/2415, 2229, 2230, 2232/2414, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241 से 2251, 2253, 2254, 2255 कुल किता 32 कुल रकबा 8.31 है0 एवं वाके ग्राम खेजडी बुजुर्ग पटवार हल्का खेजडी बुजुर्ग भू0 अभि0 नि0 क्षे0 कादेडा, तहसील चाकसू जिला जयपुर राज में स्थित है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है। खाता संख्या 130 के खसरा नंबर 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1263, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1275 कुल किता 39 कुल रकबा 15.21 है0, तथा खाता संख्या 129 के खसरा नंबर 1108 रकबा 0.11 है0 प्रार्थी स्वर्गीय श्री हनुमान पुत्र रामजीवण जाति मीणा निवासी ग्राम तामडिया का पुत्र है। अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी की माता तथा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 प्रार्थी के भाई है। तथा प्रार्थी के सह खातेदार है। प्रार्थी के दो नाम मुकेश तथा राजेन्द्र है। प्रार्थी को प्यार से मुकेश नाम से जाना जाता है परन्तु प्रार्थी का दस्तावेजो में नाम राजेन्द्र है। जिसकी पुष्टि सरपंच ग्राम पंचायत तामडिया के प्रमाण पत्र दिनांक 17.06.2019 से साबित है। प्रार्थी के पिता की मृत्यु के बाद प्रार्थी का राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के बोलते नाम अर्थात प्यार के नाम मुकेश के आधार पर परिवार वालो के बताये अनुसार नामान्तकरण खुल गया जबकि दस्तावेजो में प्रार्थी का नाम राजेन्द्र है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम मुकेश होने तथा पहचान के दस्तावेजो में राजेन्द्र होने से प्रार्थी को अपनी खातेदारी की भूमि के उपयोग-उपभोग , के.सी.


उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

सी ऋण प्राप्त करने एवं सरकारी सहायताये एवं लाभा प्राप्त करने में घोर हैरानी व परेशानी का सामना करना पड रहा है। न्यायहित में प्रार्थी का नाम प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित खातेदारी भूमि के राजस्व रिकार्ड में मुकेश पुत्र हनुमान के स्थान पर राजेन्द्र पुत्र हनुमान किया जना न्यायसंगत एवं आवश्यक है। प्रार्थी को दिनांक 25.04.2019 को राजस्व रिकार्ड प्राप्त करने पर उक्त गलती का पता चला, इस कारण प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद प्रस्तुत है। प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित खातेदारी भूमि के राजस्व रिकार्ड में मुकेश पुत्र हनुमान के स्थान पर राजेन्द्र पुत्र हनुमान किये जाने के न्यायहित में आदेश प्रदान करने की कृपा करें। प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी के द्वारा पेश किये जाने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर तलवी अप्रार्थीगण की व जवाब सरकार हेतु लिखा गया तो अप्रार्थीगण की तामील उक्त तामील प्राप्त हुये जो सलंग्न पत्रावली है, अप्रार्थी संख्या 4 तहसीलदार चाकसू की तामील होने पर भी न तो जवाब पेश हुआ न ही पेरोकार सरकार हाजीर आया। वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थना पत्र केवल नाम दुरुस्ती का है जो नाम दुरुस्त किये जाने बाबत् समस्त दस्तावेज सरपंच ग्राम पचायत तामडिया का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, चुनाव पहिचान पत्र, भामाशाह कार्ड, राशनकार्ड, शिक्षा ट्रांसफर सर्टिफिकट दिनांक 03.07.2000 के बतौर सबुत पेश किये गये है जिनमें प्रार्थी का बोलते नाम मुकेश कुमार दर्ज कर दिया गया जिसे उपरोक्त दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मुकेश के बजाय राजेन्द्र सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाया जावें। वकील प्रार्थी के कथन पर गोर किया व प्रार्थना पत्र एवमं दस्तावेजात का परीक्षण किया गया तो प्रार्थी का नाम राजस्व जमाबन्दी में मुकेश दर्ज है शेष समस्त दस्तावेजात सरपंच ग्राम पंचायत तामडिया का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, चुनाव पहिचान पत्र, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड, शिक्षा ट्रान्सफर सर्टिफिकट में प्रार्थी का नाम राजेन्द्र कुमार अकित

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (नयपुर)

है। जमाबन्दी में गलत नाम अकिंत होने से प्रार्थी सरकारी सहायता लेने से वंचित न ही अपनी भूमि का उपयोग-उपभोग कर पा रहा है। इस कारण प्रार्थी का जमाबन्दी में गलत नाम को शुद्ध किया जाना उचित समझते हैं। ताकि प्रार्थी अपनी भूमि का उपयोग-उपभोग कर सके एवमं सरकारी सहायता के०सी०सी ऋण आदि ले सके। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी का स्वीकार किया जाकर खाता संख्या 109 के ख.न 966 से 970, 976 किता 6 रकबा 3.39 है०, व खाता संख्या 19 के ख.न 123, 124, 125, 126, 127, 204, 205, 318, 320, 321, 324, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 890, 891, 892, 893, 894, 896, 897, 898, 917, 946, 947, 948, 949, 950, 952, 1159, 1160, 1662, 1663 कुल किता 36 कुल रकबा 8.34 है० व खाता संख्या 21 के खसरा नंबर 109, 110, 112, 113, 114, 115, 131, 1667, 2224/2417, 2225/2416, 2228/2415, 2229, 2230, 2232/2414, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241 से 2251, 2253, 2254, 2255 कुल किता 32 कुल रकबा 8.31 है० एवं वाके ग्राम खेजडी बुजुर्ग पटवार हल्का खेजडी बुजुर्ग भू० अभि० नि० क्षे० कादेडा, तहसील चाकसू में वर्णित खातेदारी भूमि के राजस्व रिकार्ड में मुकेश पुत्र हनुमान के स्थान पर मुकेश उर्फ राजेन्द्र पुत्र हनुमान शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते हैं व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में शुद्ध किया जावे। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर हो।


उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड (अधिकारी)
चाकसू